न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 88 / 2020

साहब सिंह फौजदार एडवोकेट, निकट बिजलीघर,भूड़ा गेट डीग जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार,डीग ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 09.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि साहब सिंह फौजदार एडवोकेट, निकट बिजलीघर,भूड़ा गेट डीग जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 23.09.2020 तहसीलदार, डीग से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार,डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 698 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा तहसीलदार, डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार,डीग से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार,डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार,डीग से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार,डीग से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार,डीग से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार,डीग को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही, अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,डीग को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर